प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर .वर्ष 2022
   प्र0इ0रि0 सं0 .155 /2022.....दिनांक...30/04/2022.....
2. (I) *अधिनियम ... धारायें. 7, 7ए (संशोधित) पीसी एक्ट 2018
   (II) *अधिनियम.....धारायें ..120 बी भा.द.स.
   (III) *अधिनियम .....धारायें .....
   (IV) 'अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....522..... समय . 03:00Pm
   (ब) अपराध घटने का दिन - शुक्रवार दिनांक 29.04.2022 समय 12:15 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 05.03.2022 समय 02:00 पी.एम.
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित
5. घटनास्थलः- कार्यालय हेरिटेज नगर निगम जोन कार्यालय, हवामहल-आमेर जोन, परिसर चौगान स्टेडियम, जयपुर
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः- उत्तर-पश्चिम दिशा दूरी करीब 07 कि0मी0
   (ब) पता :
   बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
   (अ) नामः- श्री मनोहर लाल
   (ब) पिता/पति का नाम - श्री हजारी लाल
   (स) जन्म तिथि/वर्ष .....54 वर्ष.....
   (द) राष्ट्रीयता .भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय .
   (ल) पता - मकान नं. 165, टाटा नगर, गली नं. 03, नाहरी का नाका, जयपुर
7. <u>ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित</u> :-
   श्री संजीव कुमार पुत्र श्री पवन कुमार, जाति महाजन, उम्र 47 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 07, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान हाल किरायेदार मकान नं. 220, तारानगर-डी, झोटवाड़ा, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय नगर निगम हेरिटेज, जोन कार्यालय हवामहल-आमेर जोन, चौगान स्टेडियम, जयपुर व अन्य
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :-..कोई नहीं.....
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
   6,500 रूपये रिश्वती राशि
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्यः- 6,500/-रूपये रिश्वती राशि
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

हालात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 05.03.2022 को परिवादी श्री मनोहर लाल पुत्र श्री हजारी लाल, उम्र 54 वर्ष, जाति जागा, निवासी मकान नं. 165, टाटा नगर, गली नं. 03, नाहरी का नाका, जयपुर ने अति0 पुलिस अधीक्षक, नगर-प्रथम, जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि मैने मेरे उपरोक्त निवास स्थान का पटटा ट्रांसफर कराने हेतु नगर निगम हैरिटेज कार्यालय चौगान स्टेडियम के पास में आवेदन किया। मेरे पट्टा ट्रांसफर करने के लिए नगर निगम कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी श्री संजीव कुमार ने 30,000 रुपये रिश्वत मांगी तथा उसके दलाल श्री गजेन्द्र जी से सम्पर्क करने को कहा तो मैंने गजेन्द्र से सम्पर्क किया। उसने भी उपरोक्त रिश्वत देने पर ही पटटा दिये जाने की बात कही। मैंने गजेन्द्र से कहा कि मै इतने पैसे नहीं दे सकता हूं तो गजेन्द्र ने 15-16 हजार रुपये तक काम करवाने की बात कही। मै संजीव और गजेन्द्र को रिश्वत नहीं देना चाहता तथा उनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी संजीव और गजेन्द्र से कोई रंजिश अथवा उधारी बकाया नहीं है। कानूनी कार्यवाही करे। गजेन्द्र ने अपने मोबाईल नम्बर 8005548062 से मुझे मेरे मोबाईल नं. 8984132400 पर रिश्वत बाबत फोन किया। मजीद दरियाफ्त पर पूछने पर परिवादी ने बताया कि उक्त दलाल श्री गजेन्द्र मेरे को नगर निगम कार्यालय के बाहर एक बार मिला था, मै उसको अच्छी तरह से नहीं जानता हूं तथा यह भी नहीं जानता हूं कि श्री गजेन्द्र कहां रहता है। उक्त परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन का निर्णय लिया गया। परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बंद करने का तरीका समझाकर श्री राजकुमार कानि. नं. 364 का परिवादी श्री मनोहर लाल से परिचय करवाया जाकर दिनांक 25.04.22 को श्री राजकुमार कानि. को परिवादी के पास अग्रिम कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। उसके बाद श्री राजकुमार कानि. ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आकर मन् उप अधीक्षक को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया व परिवादी ने बताया कि मेरी श्री संजीव कुमार बाबुजी से वार्ता हुई है, जिसने मुझसे मेरी पत्नी के नाम पटटा ट्रांसफर करने की ऐवज में कार्यालय में लगने वाले लीज व अन्य राशि 1,000 रुपये के अलावा 12,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की है। परिवादी द्वारा बताया गया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि कल मांगी गई है, लेकिन मेरे पास रुपयों का इंतजाम नहीं हो सकता अत: मै रूपयो का इंतजाम शीघ्र कर आपके कार्यालय आ जाऊंगा। इसके बाद दिनांक 28.04.22 को परिवादी श्री मनोहर लाल ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मै कल दिनांक 27.04.2022 को नगर निगम कार्यालय किसी अन्य कार्य से गया था, जहां पर श्री संजीव कुमार बाबुजी मुझे अचानक ही मिल गया और मेरे से जल्दी पट्टा देने की कहकर मेरी ईच्छा विरुद्व मेरे से 7,000 रुपये प्राप्त कर लिये तथा स्वंय के लिए शेष राशि 5,000 रुपये और 1,000 रुपये अकांउटेट के नाम से कुल 6,000 रुपये रिश्वती राशि कल तक देने को कहा है। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरे पास शेष रिश्वती राशि की व्यवस्था हो गई है, आप कल अग्रिम कार्यवाही कर सकते हैं। इसके बाद दिनांक 29.04.22 को परिवादी श्री मनोहर लाल ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान भी उपस्थित आये। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाते हुए ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान के रूप में उपस्थित रहने की सहमति चाही गई तो दोनों ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की। दिनांक 25.04.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता की वार्ता रूपान्तरण तैयार की जाकर फर्द ट्रासंक्रिप्ट तैयार की जाकर वॉईस क्लिप 03 सीडी में रिकार्ड/सेव कर मार्का अंकित किया जाकर सीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व सीडी अनुसार कपड़े के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। परिवादी श्री मनोहर लाल को संदिग्ध आरोपी को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहने पर परिवादी ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 12 नोट कुल 6,000 रूपये पेश किये। उक्त नोटों को फर्द में अंकित करवाकर नोटों पर श्री संजीव कुमार कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों पर नियमानुसार फिनोफ्थलीन

पाउडर लगवाया जाकर उक्त पाउडर युक्त नोट परिवादी श्री मनोहर लाल की पहनी हुई पेंट की सामने की बांयी जेब में श्री संजीव कुमार कनिष्ठ सहायक से रखवाये गये। जिसकी फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरे उक्त कार्य से संबंधित कार्यालय में जमा कराने वाली राशि की आवश्यकता मेरे को पड़ेगी तथा संदिग्ध आरोपी मेरे से और रिश्वती राशि की भी मांग कर सकता है, इसलिए मेरे पास कुछ अतिरिक्त राशि रहने दी जाये, ताकि आरोपी के द्वारा मांग करने पर उसको और राशि दी जा सके। परिवादी के पास अतिरिक्त राशि छोड़ी गई। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस नीरज गुरनानी, श्री मनोहर सिंह हैड कानि. 42, श्री हरिसिंह कानि. नम्बर 19, श्री आशीष कॉनि. 208 दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री उत्तम चंद वरिष्ठ सहायक व श्री सुरेश कुमार कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान के एवं डिजिटल वाईस रिकॉर्डर अपने पास सुरक्षित रखकर ब्यूरो कार्यालय जयपुर से जरिये सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 युएच 4769 मय चालक के तथा परिवादी श्री मनोहर लाल को भी उसके निजी वाहन से श्री कानि. श्री राजकुमार 364 के साथ रवाना होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाप्ता के नगर निगम कार्यालय से पहले पहुंचा जहां परिवादी भी कॉनि. राजकुमार के साथ उपस्थित मिला। परिवादी श्री मनोहर लाल को विभागीय डिजिटल रिकॉर्डर को पुनः चालु व बंद करने का तरीका समझाकर तथा उसके एंव आरोपी की मध्य होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने की हिदायत दी जाकर तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद परिस्थिति अनुसार अपने ट्रेप पार्टी को मुकरर्र ईशारा करने की परिवादी को हिदायत दी जाकर परिवादी को विभागीय डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर चालु कर रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाप्ता के परिवादी के पीछे-पीछे पैदल-पैदल रवाना होकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों को कार्यालय हेरिटेज नगर निगम जोन कार्यालय, हवामहल-आमेर जोन, चौगान स्टेडियम, जयपुर के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम कर परिवादी के ईशारे का इतंजार किया गया। उसके कुछ समय बाद परिवादी श्री मनोहर लाल ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को पूर्व हिदायतानुसार हेरिटेज जोन कार्यालय, हवामहल-आमेर जोन परिसर के अन्दर कमरा नं. 14 के बाहर स्थित गैलेरी में आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लिये जाने का ईशारा किया। ईशारा मिलने पर आस-पास खड़े मुकिम ट्रेप पार्टी के सदस्य एवं स्वतंत्र गवाहान को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने साथ लेकर उनके पास पहुंचा तो परिवादी श्री मनोहर लाल एक व्यक्ति के साथ बात करता हुआ खड़ा मिला। जिस पर परिवादी को पूर्व में सुपुर्द किया हुआ डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा। परिवादी मनोहर लाल ने अपने पास खड़े चैकदार शर्ट एवं लाईनदार पेंट पहने व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह श्री संजीव कुमार बाबु है। जिसने मुझसे अभी-अभी 6,500 रूपये रिश्वती राशि हाथ से प्राप्त कर अपनी पेंट की सामने की बांयी जेब में रखे है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उस व्यक्ति से परिचय पूछा तो उसने अपना नाम पता श्री संजीव कुमार पुत्र श्री पवन कुमार, जाति महाजन, उम्र 47 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 07, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान हाल किरायेदार मकान नं. 220, तारानगर-डी, झोटवाड़ा, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय नगर निगम हेरिटेज जोन कार्यालय, हवामहल-आमेर जोन, चौगान स्टेडियम, जयपुर होना बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री संजीव कुमार को आवश्यक हिदायत देकर परिवादी श्री मनोहर लाल से 6,500 रूपये ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो श्री संजीव कुमार ने बताया कि मैं हेरिटेज नगर निगम जोन कार्यालय, हवामहल-आमेर जोन, चौगान स्टेडियम, जयपुर में कच्ची बस्ती शाखा में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापित हूं तथा कच्ची बस्ती से संबंधित पट्टा संबंधी कार्य देखता हूं। श्री मनोहर लाल की पत्नी श्रीमती किरण के नाम से पटटा ट्रांसफर की फाईल जोन कार्यालय में पैण्डिंग थी, जिसके लिए श्रीमती किरण के पति श्री मनोहर लाल जी मेरे पास आये थे व पट्टा ट्रांसफर के लिए कहा था तथा यह भी कहा था कि मेरे पट्टा का कार्य करवा देना मैं आपका खर्चा पानी दे दूंगा। इसके पश्चात मौके पर मौजूद परिवादी

श्री मनोहर लाल ने श्री संजीव कुमार के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि मैं अभी श्री संजीव कुमार से कमरा नं. 14 में जाकर मिला था, बाद में हम बात करते-करते कमरे के बाहर गैलेरी में आ गये थे, जिसने गैलेरी में ही मुझसे मेरी पत्नी के नाम से मेरे आवास का पट्टा ट्रांसफर करने की ऐवज में दिनांक 27.04.22 को रिश्वत राशि 12,000 रुपये लेना तय कर मुझसे 7,000 रुपये पूर्व में प्राप्त कर मुझसे अभी-अभी स्वंय के लिए शेष रहे 5000 रुपये के स्थान पर अकाउटेंट के नाम से भी 1500 रुपये और अधिक राशि कुल 6,500 रुपये की मांग करने पर मैने मेरे पास से पूर्व में रंगे लगे 6,000 रुपये के साथ मेरे पास से 500 रुपये और देकर, इस प्रकार कुल 6,500 रूपये रिश्वती राशि मेरे से अपने बांये हाथ से प्राप्त कर अपने दोनो हाथों से गिनकर अपनी पेंट की सामने की बांयी जेब में रखे है तथा 1,000 रुपये फाईल की रसीद कटवाने के लिए श्री सुरेन्द्र सैनी को दिलवा कर भेजा है, जो भी मैंने मेरे पास से दिये है। इस पर पुनः उक्त रिश्वत के लेन-देन की जानकारी होने के संबंध में पूछा गया तो श्री संजीव कुमार ने बताया कि श्री मनोहर लाल की पत्नी श्रीमती किरण के नाम से पट्टा ट्रांसफर की फाईल जोन कार्यालय में मेरे पास ही पैण्डिंग थी, जिसके लिए श्री मनोहर लाल जी मेरे पास आये थे व पटटा ट्रांसफर के लिए कहा था तब मैंने इनसे लेवी व लीज राशि के लिए 12,000 रुपये की मांग की थी। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास निकलवाकर जोन कार्यालय से एक जग में साफ पानी मंगवाकर दोनों गिलासो में साफ पानी डालकर दोनों गिलासो को धुलवाकर तथा दोनों गिलासो में साफ पानी डालकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया जाकर स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् कांच के दोनो गिलासों के घोल में आरोपी श्री संजीव कुमार के दोनों हाथों की अंगुलियो व अंगुठे को बारी-बारी से डूबोकर धुलवाया गया तो दोनों हाथों के धोवनों का रंग गुलाबी हो गया जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो-दो साफ कांच की शीशियो में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क आर-1 व आर-2 तथा एल-1 व एल-2 अंकित कर चिट चस्पा कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसी प्रकार एक अन्य साफ कांच के गिलास में पूर्वानुसार घोल तैयार करवाकर आरोपी श्री संजीव कुमार की पहनी हुई पैंट की बांयी जेब जिससे रिश्वती राशी बरामद हुई थी, को उल्टवाकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो अन्य साफ कांच की शीशियो में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क पी-1 व पी-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया व पेंट की सामने की बांयी साईड की जेब को सुखवाकर जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में सील मोहर कर मार्क ''पी'' अंकित कर पैकिट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री उत्तमचंद से आरोपी श्री संजीव कुमार की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी श्री संजीव कुमार की पहनी हुई पेंट की सामने की बांयी जेब में 500-500 के नोट मिले जिसको दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो 500-500/रूपये के 13 नोट कुल 6,500/रूपये मिले। जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से किया गया तो 500-500/रूपये के 12 नोट कुल 6,000 रूपये हुबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए तथा 500 रुपये का एक नोट फर्द पेशकशी के अतिरिक्त पाया गया। उक्त नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न प्रकार है:-

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 CS 134547
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 CS 134548
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 CS 134549
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 CS 134550
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 CS 134551
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 CS 134552

7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 CS 134553
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 CS 134554
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 CS 134555
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 CS 134556
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 CS 134557
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 CS 134558

उपरोक्त 6,000 रूपये के नोटों को सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। उपरोक्त रिश्वत राशि 6,000 रुपये के अलावा 500 रुपये का एक नोट फर्द पेशकशी के अतिरिक्त पाया गया जिस नोट का विवरण निम्नानुसार है

1	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 NG 198568

उपरोक्त 500 रूपये के नोट को भी सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वति राशि तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री मनोहरलाल की पत्नी श्रीमती किरण देवी के नाम पट्टा ट्रांसफर (नाम हस्तांतरण पत्रावली) तथा रसीद प्राप्ति हेतु मालुमात किया गया तो नगर निगम के कम्प्यूटर आपरेटर, (संविदाकर्मी) द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त आवेदक से संबंधित कागजात व 1,000 रुपये रसीद कटवाने के लिए श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी मेरे पास लेकर आया था, जिस पर मैंने उससे प्राप्त कर रसीद काट दी। श्री सुरेन्द्र कुमार सैनी को आवश्यक कार्य होने की वजह से कार्यालय से बाहर गया हुआ है। जिस पर सुरेन्द्र कुमार सैनी से सम्पर्क करने की कोशिश की गई, परन्तु सम्पर्क नहीं हो सका तथा अकाउण्टेट जिसका नाम आरोपी श्री संजीव कुमार ने श्री रविन्द्र सिंह बताया, जिससे भी सम्पर्क करने की कोशिश की गई, परन्तु उपस्थित नही मिला व ना हीं सम्पर्क हो सका। श्रीमती किरण देवी के नाम पट्टा ट्रांसफर से संबंधित रसीद की प्रति प्राप्त की गई। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वति राशि तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री मनोहर लाल व आरोपी श्री संजीव कुमार कनिष्ठ सहायक के मध्य रिकॉर्ड रिश्वत सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन की वार्ता से मिलान हेतु अपनी नमूना आवाज देने हेतु फर्द नमूना आवाज पृथक से बनाई गई आरोपी व आरोपी श्री संजीव कुमार कनिष्ठ सहायक से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट पृथक से तैयार कर तथा आरोपी को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तीब की गई। घटनास्थल का स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष निरीक्षण कर घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष डिजीटल वाईस रिकार्डर लेपटॉप की सहायता से सुना जाकर वॉईस क्लिप का वार्ता रूपान्तरण कार्यालय लेपटॉप की सहायता से तैयार किया जाकर रिश्वत लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर रिकॉर्ड वार्ता की नियमानुसार तीन सीडी में रिकार्ड/सेव किया जाकर मार्का अंकित किये गये। उसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर गिरफ्तारशुदा आरोपी, शिल्ड शुदा आर्टिकल्स, ट्रेप बॉक्स मय साजो सामान मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के सरकारी वाहन के रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचा तथा शिल्ड शुदा आर्टिकल्स पर लगाई गई फर्द नमूना सील तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर आदि कार्यवाही की गई।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया है, कि आरोपी संजीव कुमार कनिष्ठ सहायक द्वारा नगर निगम हैरिटेज जोन कार्यालय हवामहल-आमेर में परिवादी श्री मनोहरलाल के निवास स्थान का उसकी पत्नी श्रीमती किरण देवी के नाम पटटा ट्रांसफर करने के लिए 12,000 रुपये रिश्वत राशि

लेना तय कर परिवादी से दिनांक 27.04.2022 को 7,000 रुपये पूर्व में प्राप्त कर दिनांक 29.04.2022 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान आरोपी श्री संजीव कुमार द्वारा परिवादी से स्वंय तथा अन्य के लिए कुल 6,500/रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये को रंगे हाथ पकड़े जाने तथा आरोपी द्वारा परिवादी से अन्य के नाम से भी रिश्वती राशि प्राप्त करना पाया गया है, जिस हेतु संबंधितो की भूमिका दौराने अनुसंधान स्पष्ट की जावेगी। उक्त प्रकरण में अन्य व्यक्तियों की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है, जो अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व सपठित धारा 120बी भा.द.सं. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री संजीव कुमार पुत्र श्री पवन कुमार, जाति महाजन, उम्र 47 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 07, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान हाल किरायेदार मकान नं. 220, तारानगर-डी, झोटवाड़ा, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय नगर निगम हेरिटेज, जोन कार्यालय हवामहल-आमेर जोन, चौगान स्टेडियम, जयपुर व अन्य के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व सपठित धारा 120बी भा.द.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय

(नीरज गुरनानी)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त श्री संजीव कुमार, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय नगर निगम हेरिटेज, जोन कार्यालय हवामहल-आमेर जोन, चौगान स्टेडियम, जयपुर, एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 155/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30/4/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

क्रमांक 1361-65 दिनांक 30.4.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1 जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर